

3/7/95

पत्रावली पेश हुई, वकील वदी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्वदत्त दिनांक ~~8/3/95~~ को पेश हो 2

3/7/95

~~पत्रावली पेश की / वकील पेश नकल वास्तव प्रभाव। व 2 एव प्रतिवादी को तलबी रजि. 0 एड 0 से सुनवाई शुरू में करी. अवसर दिया जा चुका है, आज दिनांक तक रजि. 0 एड 0 पेश नहीं की गई, कि भी बसिद मधि. 0 इ.ए. एक अवसर मौद गद्य गया, व्यापारिक से एक मन्त्रिम अवसर दिया जाकर पत्रा. दिनांक 24/11/2021 को आवश्यकता से पेश हो, मागामी पेश पर पेश नहीं करके पर पत्रा. से मन्त्रिम आविवादी कर दिख जावेगी।~~  
पत्रावली पेश हुई। वकील वदी वदी अधिवक्ता को जत पेश पर प्रतिवादी मधु की वकील Reg Adv से करवाई जाकर रही है जत अवसर पेश किए जाने हेतु निर्दिष्ट दिनांक मधु या वया वकील हेतु पूर्व में वकील अधिवक्ता को कर अवसर दिए गए हैं लेकिन वकील अधिवक्ता (SAR) को वकील से संबंधित सहायक

  
(बसिद)

24/11/95

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... उप जिला कलेक्टर..... मुकाम.....  
 ..... बनाम.....  
 ..... नं. ....  
 किस्म मुकदमा.....

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अहकाम तामील</p>
------------------------	---	----------------------------------

प्रस्तुत नवी बिप लिमिटेड प्रवित  
 वाडी अधिनकला उक्त प्रकला  
 का पलायन जाने में इच्छुक  
 नही है पञ्जावली का पलायन  
 जाने का कोई अधिकार नही  
 है अतः पञ्जावली को इसी  
 स्तर पर स्वीकार किया जाता  
 है पञ्जावली लम्बर से कुछ भी  
 गारंटी वाली दफ्तर है।

